तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम की तामील
5/1/21	वकलाय उप०। अन्य कार्य में व्यस्त रहने से पत्रावली हेतु आदेश दिनांक 4/2/21 को पेश हो। SDO	
4/2/21	वकलाय उप०। अन्य कार्य में व्यस्त रहने से पत्रावली हेतु आदेश दिनांक 15/3/21 को पेश हो। SDO	
15/3/21	वकलाय उप०। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि बहस सुने एक माह से ज्यादा समय हो जाने से पत्रावली वास्ते पुनः मजीद बहस हेतु दिनांक 26/4/21 को पेश हो। SDO	
26/4/21	कोरोना के कारण पत्रावली पेश हुई आज S.D.O. साहब दौरे पर, दिगर कार्य में व्यस्त वकीलों द्वारा कोर्ट कार्य स्थगित रखने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 28/6/ 2021 को पेश होवे।	
28/6/21	पत्रावली पेश हुई आज S.D.O. साहब दौरे पर, दिगर कार्य में व्यस्त वकीलों द्वारा कोर्ट कार्य स्थगित रखने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 1/9/ 2021 को पेश होवे।	
1/9/21	वकलाय उप०। मजीद बहस का समय चाहते हैं। दिगर कारण है। पत्रावली आयन्दा दिनांक 28/10/21 को पेश हो। SDO	
25/10/21	वकलाय उप०। मजीद बहस का समय चाहते हैं। दिगर कारण है। पत्रावली आयन्दा दिनांक 30/11/21 को पेश हो। SDO	
30/11/21	वकलाय उप०। मजीद बहस सुनी गई। पत्रावली ... हेतु आदेश दिनांक 27/12/21 ... SDO	
27/12/21	वकलाय उप०। पत्रावली मय दस्तावेजात मय पत्रावली मातहत का गहनता से अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। विधिक स्थिति जानकारी का अध्ययन किया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:30:11 IST
Reason: SelfAttested

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी बखूबी साबित नहीं होने से व नाराजीनामा होने से खारिज किया जाता है। विधिवत निर्णीत हुक्म के लिखा जाकर नोट सि. किया जावे/ पत्रावली फैसल शुमार होकर नतीजा दर्ज हो। बाद तकमील कार्यवाही दाखिल दफ्तर होवे। आज्ञा सुनाई गई।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:30:11 IST
Reason: SelfAttested

यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

ठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
जस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 88/2009
CMS NO. : 2009/00033

–:: प्रार्थीगण ::–

1. किशनाराम पिसरान छगनाराम
2. जोगाराम पिसरान छगनाराम
3. गेंदा देवी पिसरान छगनाराम
4. गहरादेवी पिसरान छगनाराम
5. सुकड़ी देवी पिसरान छगनाराम

जातियान– मेघवाल,
निवासीगण– आनन्दपुर कालू, तहसील– जैतारण, जिला– पाली।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. रामनिवास वल्द भंवरूराम
2. पोकरराम वल्द भंवरूराम
3. अणदाराम वल्द हाथिराम के का0मु0
   3/1. हड़मान पिसरान अणदाराम
   3/2. गणपत पिसरान अणदाराम
   3/3. महेन्द्र पिसरान अणदाराम
   3/4. कमली देवी पिसरान अणदाराम
   3/5. मतिया पुत्री पिसरान अणदाराम
   3/6. ढगलाई पत्नी अणदाराम
   जातियान– जाट
4. हरिराम वल्द हाथीराम
5. जेराराम वल्द हाथीराम
6. धारू वल्द प्रताप
7. भबुत वल्द प्रताप
8. बक्साराम वल्द तारू
9. सियाराम वल्द तारू
10. चेनाराम वल्द तारू
11. ढगलाई वल्द तारू
12. पाबुराम वल्द अमराराम
13. देवाराम वल्द जवाराम
14. पेमाराम वल्द जवाराम
15. धर्माराम वल्द जवाराम
16. रूपाराम वल्द जवारा
17. जीवनराम वल्द मांगीया
18. नि[illegible]
19. तेजाराम वल्द मां[illegible]
20. भी[illegible] के का0मु0
   20/1. [illegible] वल्द भीकाराम
   20/2. केलकी पत्नी भीकाराम
21. रामनिवास वल्द दुर्गाराम
22. पुसाराम वल्द दुर्गाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bis
Date: 2022.01.24 18:30:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

23. रामलाल वल्द दुर्गाराम
24. कानाराम वल्द दुर्गाराम
25. दीनाराम वल्द हापूजी
26. स्वरूपराम वल्द हापूजी
जातियान– जाट, निवासीगण– आनन्दपुर कालू, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज०।
27. तहसीलदार जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली।
28. उपपंजीयन अधिकारी जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 23/06/2009

उपस्थितः. 1. श्री शंकरलाल कुमावत, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः 27/12/2021**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा आनन्दपुर कालू व पटवार हल्का आनन्दपुर कालू चक द्वितीय में सायलान की कब्जा काश्त व मालिकाना हक की वादग्रस्त भूमि की खसरा नम्बर 973 रकबा 05–10 बीघा किस्म बारानी अव्वल स्थित है। उक्त खसरा की भूमि पर सायलान का हक व कब्जा काश्त वक्त सेटलमेन्ट से पहले का कब्जा काश्त वादग्रस्त आराजी को मुतदाविया के नाम से वाद में संबोधित किया जायेगा। उपरोक्त आराजी मुतदाविया पर कब्जा काश्त सम्वत् 2007 से सायलान के मुतवफी पिता छगनी वल्द काला कौम भांबी मेघवाल का उनके जीवन काल तक बिना किसी रोक टोक स्वतन्त्र रूप से चला आ रहा है और वर्तमान सायलान किशनाराम, जोगाराम, गेंदादेवी, गहरादेवी, सुकड़ी देवी जो की छगनीया वल्द काला के जायन्दा पुत्र पुत्री है, काबिज है तथा काश्त उक्त आराजी पर उनके पिता के जीवन काल से सम्वत् 2007 से आज तक चला आ रहा है। उपरोक्त आराजी मुतदाविया पर कब्जा काश्त सम्वत 2007 से 2012 तक खसरा नं0 973 खसरा बन्दोबस्त व खसरा गिदावरी मे भी कब्जा काश्त सायलान के मुतविफ पिता छगनीया वल्द काला के नाम दर्ज है खसरा बन्दोबस्त सम्वत 2007 से 2013 तक की वाद के साथ पेश है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांक 15.10.1955 को राजस्थान राज्य [illegible] हुआ है। उक्त काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के अनुसार [illegible] उक्त अधिनियम के लागु होने की तारीख 15.10.1955 को कृषि भूमि पर कब्जा काश्त है। इस प्रकार बाई आपरेशन ऑफ लॉ वादीगण के पिता मुत[illegible] छगनीया वल्द काला उक्त आराजी का खातेदार हो गया। वर्तमान सेटलमेन्ट मे उपरोक्त आराजी मुतदविया के आस पास गैरसायलान दादा छोगा वल्द काला जाति जाट का नाम सायलान के पिता छगनीया वल्द काला पास कृषि भुमि स्थित होने से उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:30:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

। राजस्व तत्कालीन पटवारी की गलती है। उक्त खसरा बन्दोबस्त चैंकिग से तथ्य सामने आया कि उक्त आराजी मुतदविया पर भौतिक रूप कब्जा काश्त । वल्द रमजी कौम माली का नही मानकर सायलान के पिता छगनीया वल्द ा कौम भांबी दर्ज किया जब गैरसायलान के दादा कभी कभी उक्त खसरा सं. 3 पर काबिज नही रहें। केवल नाम की समानता की वजह से तत्कालीन वारी ने गलत आगे 2017 के बाद राजस्व रेकर्ड परिवर्तन किया। जबकि उक्त राजी केवल मुतदाविया के पिता का खसरा परिवर्तन 2007 से 2013 तक ब्जा काश्त छगनीया वल्द काला जाति भाम्बी का दर्ज है। इस प्रकार आराजी तदविया पर कब्जा सम्वत 2007 से बिना किसी रोक टोक शांतिपुर्वक छगनीया ल्द काला का उसके जीवन काल का तथा उसके देहान्त के पश्चात वर्तमान मे ायलान उक्त आराजी पर काबिज एवं काश्त करते है जिसको अर्को करीबन 50 र्ष से अधिक समय हो गया है इस प्रकार सायलान का कब्जा एडवर्स पजेशन के आधार पर भी सायलान को खातेदारी अधिकार उक्त आराजी मे कानुनन प्राप्त हो चुके। वर्तमान सटेलमेन्ट के वक्त सेटलमेन्ट के बाद राजस्व पटवारी ने सायलान के दादा छोगा वल्द काला की गलत राजस्व रेकर्ड इन्दार्ज किया है एवं गैरसायलान लगातार गलत इन्दार्ज होता आया है जब कि मौके पर वक्त सेटलमेन्ट से आज तक कब्जा व काश्त गैरसायलान स्वंय या उनके पिता- दादा का नही रहा है। आराजी मुतदाविया पर सायलान का कब्जा काश्त सम्वत 2007 से आज तक शांतिपूर्वक बिना रोक-टोक के चला आ रहा है जिसको करीबन 50 से भी ज्यादा समय हो गया है इसलिए वर्तमान समय में अगर गैरसायलान के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में खातेदार के दर्ज है तो भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 63(1), [iv] के अनुसार भी गैरसायलान, सायलान से कब्जा कानुनन प्राप्त नही कर सकते है, अर्थात गैरसायलान के कब्जा प्राप्त करने कि म्याद निकल चुकी है। इसलिए बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ धारा 63(1), [iv] के अनुसार भी सायलान आज की तारीख में आराजी मुतदाविया के खातेदारी काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है इसलिए सायलान कि ओर से यह घोषणा का दावा खिलाफ गैरसायलान पेश है। वर्तमान जमाबन्दी में आराजी मुतवादिया गैरसायलान के नाम सेटलमेन्ट के बाद सम्वत 2017 के बाद गैरसायलान छोगा वल्द काला व उनके पुत्रगण हजारी, हाथी, प्रताप, अमरा, के पुत्रगण ने गाँव में एलानिया सायलान को धमकियाँ दी की आराजी मुतदाविया राजस्व रेकर्ड में हमारे दर्ज हैं। इसलिए तुम सा[illegible] जमीन में कोई अधिकार नही मांगते है अगर गैरसायलान मौके [illegible] आप मुतदाविया काश्त नहीं करने दिया व सायलान को बेद[illegible] को असीम हानि होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी कदर संभव नही है और [illegible] मुकदमे बाजी होगी तथा खर्च से जेब बार होना पडेगा इसलिए सायलान [illegible] ओर से स्थाई निषेधाज्ञा का वाद खिलाफ गैरसायलान पेश है। बिसल बन्दोबस्त व खसरा गिरदावरी 2007 से 2013 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 15 के अनुसार आराजी मुतदाविया पर कब्जा काश्त सायलान का इसलिए प्रथम दृष्टिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar
Date: 2022.01.24 18:30:11
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

मा सायलान के पक्ष मे मजबुत सोबित है। सुविधा का सन्तुलन भी सायलान पक्ष मे है। अपूरणीय क्षति भी सायलान का होना सुनिश्चित है क्योकि संवत् 7 से आज तक आराजी मुतदाविया पर कब्जा काश्त करीबन 50 वर्ष से भी अरसे शांतिपुर्वक बिना किसी रोक टोक चला आ रहा है। इसलिए गैरसायलान द्वारा सायलान को बेदखल कर दिया या कब्जा काश्त मे दखलअंदाजी करेंगे तो यलान को असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपुर्ति रुपयो मे भी नही आंकी जा सकेगी एवं सायलान के दावा दौरान मे गैरसायलान बेदखल बलपुर्व करने पर यलान को अपने खातेदार अधिकारों से हमेशा के लिए महरुम रह जाएंगें। इसलिए गैरसायलान को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जावें। अतः प्रार्थना पत्र य शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना निम्न जारी की ावें– अ. अस्थाई स्थाई निषेधाज्ञा जारी करके सायलान के कब्जे व काश्त मे भी गैरसायलान स्वयं उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट, काश्त व काश्त से संबधित तमाम कार्य खड़ाई, बुवाई, कटाई, आदि मे दखलअन्दाजी नही करें। जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के ता फैसला दावा के रोका जावें। ब. सायलान द्वारा यदि प्रार्थनापत्र मे बताई कब्जा काश्त सुदा भुमि मे किसी प्रकार की कोई दखलअन्दाजी कर दे तो गैरसायलान के हर्जे खर्चे से वापिसपुर्व स्थिति बनाई जावें। स. प्रार्थना पत्र की रुह से अन्य कोई भी दादरसी बहक सायलान हो अतारफरमावें खर्चा मुकदमा सायलान को गैरसायलान से दिलावें।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थी संख्या 02, 03/1 से 3/6, 10, 11, 13, 18, 19, 20/1, 20/2, 22, बावजूद सम्मन सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहनें से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। शेष अप्रार्थीगण का वकालतनामा पेश हुआ जो सा0मि0 है। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश करते हुये कथन किया है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक में वर्णित कथन पूर्णतया असत्य व झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। मौजा आ0कालू चक द्वितीय में स्थित में आराजी खसरा नम्बर 973 रकबा 05 बीघा 11 बिस्वा के रेकर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार गैरसायलान ही हैं एवं उनका ही एक मात्र कब्जा व काश्त है तथा हर वर्ष फसल गैरसायलान ही बोते है व भोगते हैं। इस भूमि की चालू जमाबंदी व खसरा गिरदावरी जबाब के साथ पेश है। सेटलमेंट के समय से सायलान का इस भूमि पर कब्जा काश्त होने का कथन असत्य व झूठा है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य, झूठा व बेबुनियाद होने से अस्वीकार प्रार्थना पत्र के पद संख्या दो में वर्णित कथन पूर्णतया असत्य, झूठा व बेबुनियाद है, आराजी खसरा नम्बर 973 मौजा कालू द्वितीय से सायलान का उनके मित्र किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नही है, सम्पूर्ण पद अस्वीकार है। सायलान प्रार्थना पत्र के पद संख्या तीन में वर्णित कथन असत्य होने से अस्वीकार है। इस आराजी के खसरा बंदोबस्त व खसरा गिरदावरी में गैरसायलान के पूर्वजों के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का नाम दर्ज हुआ है तो वह गलत है। सेटलमेंट के पूर्व से ही इस आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:30:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

गैरसायलान व उनकेपिता प्रपिता का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त तथ्यों अलावा पूरा फिकरा गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या चार त्य होने से अस्वीकार है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 973 मौजा कालू द्वितीय सायलान का या इनके पूर्वजों का कभी कोई कब्जा काश्त व हक व अधिकार रहा है। वक्त सैटलमेंट के समय भी आराजी पर गैरसायलान व उनके पूर्वजों ही कब्जा व काश्त व हक अधिकार था। उक्त तथ्यों के अलावा पूरा फिकरा सत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या पांच में वर्णित कथन र्णतया असत्य झूठा व बेबुनियाद होने से अस्वीकार हैं। मिसल बंदोबस्त में छोगा वल्द काला जी के नाम की प्रविष्टी का जो अंकन हुआ है व पूर्णतया सही आ है, मौके पर उनका कब्जा व काश्त था। इसी माफिक विवादित आराजी काला जाट के सभी विधिक उत्तराधिकारियों के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई है। उक्त आराजी माफिक उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार गैरसायलान के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई है। सायलान व उनके पूर्वजों का इस आराजी पर कभी कोई हक व अधिकार नही रहा है। एडवर्स पजेशन का सिद्धान्त इस प्रकरण में लागू नही होता है व वाद वादी के लिये एडवर्श पजेशन का सिद्धान्त लागू भी नही होता है। इन तथ्यों के अलावा पूरा फिकरा गलत है व अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या छः में वर्णित कथन पूर्णतया असत्य, झूठे व बेनियाद होने से अस्वीकार है। विवादित आराजी पर सायलान ने अपना कब्जा व हक अधिकार होने का झूठा कथन किया है। विवादित आराजी के रेकर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार गैरसायलान ही है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या सात में वर्णित कथन पूर्णतया असत्य बेबुनियाद है, विवादित आराजी पर कब्जा काश्त व हक अधिकार आयलान का नही होकर के गैरसायलान का ही है। धारा 63(1) व (4) के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते है कारण कि इस आराजी पर सायलान दछनक पूर्वजों का की भी कोई कब्जा व हक अधिकार नही रहा है। घोषणा का निराधार प्रार्थना पत्र सायलान ने पेश किया है, जो काबिल खारिज के है, उक्त तथ्यों के अलावा पूरा फिकरा गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या आठ में वर्णित कथन पूर्णतया असत्य झूठा व बेबुनियाद है जो अस्वीकार है। विवादित आराजी पर सायलान कभी भी कोई कब्जा काश्त व हक अधिकार नही रहा है। सम्वत 2017 से पूर्व व उसके बाद भी विवादित आराजी पर कब्जा व काश्त सायलान का ही रहा है। सायलान ने झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो काबिल खारिज के है। सायलान गैरसायलान के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के वास्ते अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 09 में वर्णित कथन पूर्णतया असत्य व बेबुनियाद है विवादित भूमि पर वक्त सेटलमेंट से पूर्व से ही गैरसायलान के पूर्वजों का कब्जा काश्त व हक अधिकार था व आज दिन तक गैरसायलान ही इस आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। राज0काश्त0अधिनियम की धारा 188 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नही होते है, न ही एडर्वस पजेशन के कोई सिद्धान्त ही लागू होते है। सायलान ने गैरसायलान को महज तंग व परेशान करने की नियत से यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:30:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

कार्यवाही पेश की हैं। सायलान रेकर्डेड खातेदार गैरसायलान के विरूद्ध अस्थाई ाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। उक्त तथ्यों के अलावा पूरा रा गलत होने से अस्वीकार है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के ायलान की ओर से पेश कर निवेदन है कि सायलान का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खारिज फरमावे। वकील प्रार्थीगण की ओर से लिखित बहस एवं न्यायिक ांत 1. RRD 1988 PAGE NO. 462, 2. Baba Singh vs State of Rajasthan & Other Air 2002 j 92, 3. Rajasthan State vs Mangla Ram 1955 ए RRD 1955 PAGE NO. 252, 4. RRD 1994 GE NO. 764, 5. Nathu vs Chanda & Others RRD 1993 PAGE NO. 200, प्रस्तुत किये, न्हें सामिल मिसल किया जाकर इनका भलीभांति ससम्मान अवलोकन किया या।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनते हुए उस पर मनन किया। करण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है :-

1. ***प्रथम दृष्टया मामला*** :- पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् एवं प्रार्थनापत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी पर सम्वत् 2007 से अर्थात् भू बन्दोबस्त कार्यवाही पूर्व से कब्जा काश्त होनें एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होनें से उक्त भूमि पर प्रार्थीगण के पिता छगनाराम के खातेदारी अधिकार निहित हो जानें के बावजूद भू अभिलेख में अप्रार्थीगण का नाम गलत प्रविष्ट होनें के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत् वादपत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जो जैरकार है। वादपत्र के अनुतोष के सम्बन्ध में किसी प्रकार की निर्णायक टिप्पणी किये बिना हमारा यंह स्पष्ट अभिमत है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात्, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2007-2013 ग्राम आनन्दपुर कालू, खसरा बन्दोबस्त मौजा आनन्दपुर कालू चक द्वितीय पट्टा ठिकाना, परगना जैतारण, के अंकन अनुसार वादग्रस्त आराजी छगना वल्द कालू कौम भाम्बी साकिन देह, का नाम दर्ज है। चुंकि प्रकरण खातेदारी अधिकारों की घोषणा से सम्बन्धित है तथा प्रार्थीगण वादीगण द्वारा भू अभिलेख प्रविष्टियों की सत्यता पर प्रश्न चिन्ह् लगाया है, अतः उपलब्ध दस्तावेजात् से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निहित होना साबित होता है।

2. ***सुविधा का संतुंलन*** :- चुंकि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निहित होना साबित हुआ है तथा खसरा गिरदावरी सम्वत् 2007-2013 एवं खसरा बन्दोबस्त मौजा आनन्दपुर कालू चक द्वितीय पट्टा ठिकाना, परगना जैतारण, की प्रविष्टियों से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी भू प्रबन्ध कार्यवाही पूर्व से प्रार्थीगण के पिता के कब्जा काश्त में रही है तथा अप्रार्थीगण द्वारा उक्त तथ्य के खण्डन के लिये कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में निहित होना साबित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bish
Date: 2022.01.24 18:30:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर प्रदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

अपूर्णनीय क्षति :– चुंकि उपर्युक्त दोनों बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुये प्रार्थीगण द्वारा भू अभिलेख की वर्तमान प्रविष्टियों की सत्यता पर प्रश्न चिन्ह न्न किया है। साथ ही प्रार्थीगण का वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा से बन्धित है अतः यदि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से नहीं रोका जाता तो यह पूर्ण आशंका है कि अप्रार्थीगण द्वारा भू अभिलेखीय प्रविष्टियों के आधार र वादग्रस्त आराजी का हस्तान्तरण व अन्य माध्यम से व्ययन किया जा सकता हैं था यदि वादपत्र वादीगण के पक्ष में निर्णित हो जाता है तो ऐसी दशा में ऐसे स्तान्तरण एवं व्ययन का प्रत्यक्ष रूप से नकारात्मक प्रभाव प्रार्थीगण को ही होगा। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में निहित होना साबित होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद बैचान, हस्तान्तरण न करनें हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से निरूद्ध किया जाना विधि संगत एवं आवश्यक है।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवचेन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा आनन्दपुर कालू, पटवार हल्का आ.कालू चक द्वितीय तहसील जैतारण जिला पाली के खसरा नम्बर 973 रकबा 05–10 बीघा किस्म बारानी अव्वल का बैचान व हस्तान्तरण नहीं करें तथा वर्तमान भू–अभिलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलेक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 27/12/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:30:11 IST
Reason: SelfAttested